न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0––25/2015

प्रविष्टि दिनांक ––15.4.2015

उनवान

1. मोहम्मद जमील पुत्र अहमद जान जाति मुसलमान निवासी जाल का कुआ टोंक जिला टोंक
2. जमीला बी पुत्री अहमदजान पत्नी शफीउल्ला निवासी प्लाट नं0 92 उदयनगर झोटवाडा जयपुर राजस्थान जरिये मुख्तार मोहम्मद जमील पुत्र अहमद जान
3. सुल्ताना बी पुत्री अहमद जान पत्नी अहमदीन मुसलमान निवासी संजय नगर इ–प्लाट झोटवाडा जयपुर राजस्थान जरिये मुख्तार मोहम्मद जमील पुत्र अहमद जान

–प्रार्थीगण

बनाम

1. अख्तर जहां पुत्री मोहम्मद अली पत्नी मेहमूद मिया मुसलमान निवासी छावनी चौराहा बस स्टेण्ड रोड टोंक
2. बेगम बी पुत्री मोहम्मद अली पत्नी शहजादा खां जाति मुसलमान निवासी कचरा बस्ती जयपुर राज0
3. नन्नी बी पत्नी स्व0 अहमद अली उर्फ लियाकत अली, मुसलमान निवासी न्यू बस स्टेण्ड रोड अलबेक होटल के पास टोंक
4. इकबाल पत्नी स्व0 हामिद अली मुसलमान निवासी न्यू बस स्टेण्ड रोड अलबेक होटल के पास टोंक
5. मोहम्मद सईद पुत्र अहमद जान मुसलमान उदयनगर झोटवाडा जयपुर तहसील व जिला जयपुर राज0
6. अमीन पुत्र मेहमूद मुसलमान निवासी मोहल्ला छावनी बस स्टेण्ड रोड टोंक
7. अकरम पुत्र मेहमूद मुसलमान निवासी मोहल्ला छावनी बस स्टेण्ड रोड टोंक
8. असलम पुत्र मेहमूद मुसलमान निवासी मोहल्ला छावनी बस स्टेण्ड रोड टोंक
9. तहसीलदार टोंक

– प्रतिपक्षीगण

उपस्थित–श्री तेजमल जैन–, वकील प्रार्थीगण
श्री रमेश शर्मा–अभिभाषक–प्रतिपक्षी सं0 5
श्री शाहब अहमद–अभिभाषक प्रतिपक्षी

दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

निर्णय

दिनांक–2.12.2016

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार रं है कि प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण सं0 1 ता 5 स्व0 काली पत्नी मोहम्मद सिददीक के विधिक वारिसान है। स्व0 काले खां व मु0 काली स्व. मुसरफ की संतान थी, काले खां के एक पुत्री उमेरा थी जो लाऔलाद फोत हो गई तथा मु0 काली स्व0 काले खां की सगी बहन थी, की मां की भी मृत्यु हो चुकी है। स्व0 काली के कोई पुरूष संतान नही थी बल्कि दो लडकिया मु0 फिरदौस एवं रफीका थी। फिरदौस व रफीका दोनो की भी मृत्यु हो चुकी है। फिरदौस पुत्री काली पत्नी मोहम्मद अली के दो पुत्र हामिद अली व अहमद अली उर्फ लियाकत अली हुए जिनका विधवा

Scanned by CamScanner

प्रतिपक्षी सं0 3 व 4 है तथा दो पुत्रिया अख्तर जहां व बेगम बी है जो प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 है। काली के परिवार का शजरा निम्न प्रकार है:–

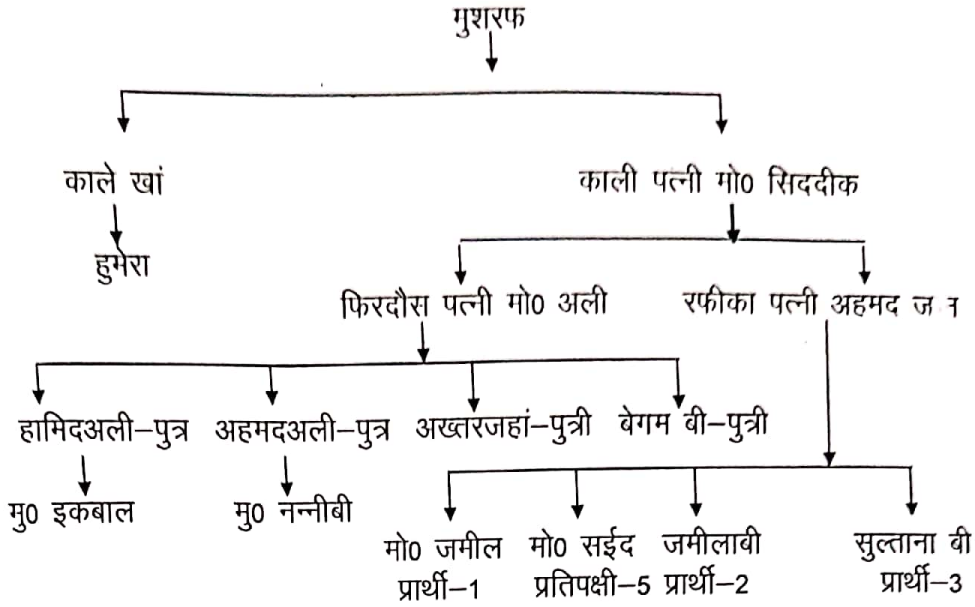

भूमि ख.न. 6144 रकबा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 बाडा वाके कस्बा शर्की टोंक स्व० काली की खातेदारी मे अंकित थी जो स्व0 काली की मृत्यु के बाद उसकी दोनो पुत्रिया फिरदौस व मु0 रफीका के नाम खातेदारी मे अंकित होना चाहिए था लेकिन राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि के कारण काली की भूमि अकेले फिरदौस के नाम ही लग गई तथा रफीका जो स्व0 काली की दूसरी पुत्री थी उसका नाम खातेदारी मे अंकित नही हुआ । वर्तमान मे भी भूमि फिरदौस के नाम ही अंकित है जिसके कारण उक्त भूमि मे फिरदोस की दोनो पुत्रिया अख्तर जहा प्रतिपक्षी सं0 1 व बेगम बी प्रतिपक्षी सं0 2 तथा उसके दोनो मृतक पुत्र अहमद अली व हामिद अली की विधवा प्रतिपक्षी सं0 3 व 4 भूमि को अपने नाम करवाने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि मे काली की पुत्री रफीका के वारीसान प्रार्थी सं0 1 ता 3 एवं प्रतिपक्षी सं0 5 का भी मृतक काली की उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा है। रफीका के पुत्र मोहम्मद सईद के प्रार्थी नही बनने के कारण उसे प्रतिपक्षी सं0 5 बनाया है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण मौके पर काबिज चले आ रहे है। लेकिन मृतक फिरदौस का नाम अंकित होने के कारण फिरदौस के वारिसान अकेले अपने नाम नामान्तरकरण खुलवाना चाहता है और प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर अमादा हैं अतः प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 व 6 ता 8 को ताफैसला वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से उक्त भूमि को हस्तान्तरित नही करे, रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण को बेदखल नही करे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 4 व 6 ता 8 की ओर जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थनापत्र स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने काले खा को काली का भाई बताया है जो गलत है , काले खां काली के पिता थे। पेश किया गया सजरा भी गलत है। उक्त भूमि ख.न. 6144 रकबा 11 बिस्वा गै0मु0 बाडा वाके कस्बा शर्की टोंक काली की खातेदारी मे होना स्वीकार है। काली की मृत्यु दिनांक 11.4.1960 को हो चुकी हैं। उक्त भूमि उसके चाचा सैयद अब्बास अली से प्राप्त हुई थी इस प्रकार उक्त भूमि काली की स्वअर्जित भूमि थी। काली ने काली ने फिरदोस के नाम उक्त भूमि की वसीयत लिख दी और तब से ही फिरदौस के कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि मे कोई हक व हिस्सा नही है। फ़िरदौस ने अपने जीवनकाल मे ही दिनांक 23.4.1991 को अपने बडे लडके हामिद अली को उक्त भूमि का मुख्तारखास बना दिया। उक्त भूमि मे से कुछ भूमि को फिरदौस व हामिद अली ने फरोख्त कर दी। वर्तमान मे उक्त भूमि मे मकानात बने हुए हे मौके पर कोई भूमि खाली नही है। प्रार्थीगण का किसी भी भू–भाग पर कब्जा नही है। भूमि आबादी मे हैं। प्रार्थीगण ने काली का झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया है। उक्त भूमि का प्रयोग कृषि कार्य मे नही होने के कारण इस न्यायालय को श्रवणाधिकार नही है। प्रार्थनापत्र खारिज की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

अप्रार्थी सं0 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण काली के विधिक वारिस है। काली के कोई पुरूष सतान नही थी उसके दो पुत्रिया फिरदौस व रफीका थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थनापत्र मे अंकित शजर सही है। उक्त भूमि मे फिरदौस व रफीका दोनो का ही हिस्सा होना चाहिए था। मात्र फिरदौस का नाम अंकित

Scanned by CamScanner

होना गलत है। उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा वादीगण प्रार्थीगण का है। प्रतिपक्षी 1 ता 4 व 6 ता 8 का गलत अंकन होने के कारण फायदा उठाने पर अमादा है। अतः प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 व 6 ता 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे ।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे काली, रफीका, का मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा परिशोधन पत्र सैटलमेन्ट, शपथ पत्र, मुख्तारनामा, जमाबंदी संवत 2070–2073, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया।

हमने प्रार्थना पत्र, जवाबो, प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हक अधिकार संबंधी तथ्यो साक्ष्य दस्तावेजो पे वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान मे उक्त भूमि फिरदौस के नाम अंकित है जबकि फिरदौस की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध परिशोधन पत्र मे अंकितानुसार फिरदौस को काली की बेटी बताकर अंकन किया है उक्त अंकन से कही भी स्पष्ट नही है कि रफीका भी काली की पुत्री है साथ ही प्रतिपक्षी सं0 1 ता 4 के जवाब के अनुसार काली ने फिरदोस के नाम उक्त भूमि की वसीयत लिख दी और तब से ही उक्त भूमि फिरदौस के कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। लेकिन दस्तावेजो मे कही भी उक्त तथाकथित वसीयत का उल्लेख नही है और ना ही उक्त तथ्य किसी भी साक्ष्य से साबित है। लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर पूर्व मे उक्त भूमि काले खां के नाम अंकित थी जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है और प्रार्थीगण अपने आपको रफीका के वारिस बनाते है। अतः जब तक इस तथ्य की पुष्टि नही हो जाती है कि रफीका भी काली की पुत्री थी, तब तक भूमि की यथावत स्थिति बनाये रखना आवश्यक हैं। चूंकि वर्तमान मे प्रतिपक्षीगण पत्रावली पर उपलब्ध परिशोधन पत्र भू–प्रबन्ध के अनुसार अपने आप को खातेदार काश्तकार बताते है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया उक्त विवादित भूमि मे प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनो का हित निहित प्रतीत होता है। चूंकि प्रथम दृष्टया केस दोनो पक्षो के पक्ष मे है तो अपूर्णीय क्षति एंव सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी दोनो पक्षो के पक्ष मे है। चूंकि जब तक वाद निर्णय मे वाद पत्र के बिन्दुओ के संबंध मे साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर निर्णय नही हो जाता , तब तक भूमि के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः यह न्यायालय प्रार्थनापत्र को आंशिक स्वीकार कर, दोनो पक्षो को वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आ0 ख.न. 6144 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा टोंक शर्की, तहसील टोंक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनो पक्षो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति मे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करे। दोनो पक्ष पाबन्द रहे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 2.12.2016** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner